प्रकरण संख्या 67/2023 प्रेमशंकर बनाम चुन्नीलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.07.2024	प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की आराजी नंबर 3316 रकबा 10.9670 हैक्टर भूमि मौजा चन्देसरा, तहसील मावली में स्थित है, जिसमें वादी का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/63 हिस्सा तथा अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी अनुसार दर्ज हैं तथा पक्षकारान अपनी सुविधा अनुसार काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपने हिस्से की भूमि का विभाजन करवाना चाहते हैं। अतः वाद वर्णित आराजी का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपने निर्णय दिनांक 29.05.2023 से वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 19.09.2023 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष शर्मा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 22 की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री तुलसीराम डांगी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की उन्हें प्रथम बार जानकारी दिनांक 19.12.2023 को तब हुई जब संबंधित पटवारी हल्का के पास खाते की नकल लेने गया। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया। हमने उक्त प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है। Signature Not Verified Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat Date: 2024.10.30 12:47:28 IST Reason: SelfAttested	

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुने बिना एवं बिना जवाबदावा लिये लोक अदालत में निर्णय पारित किया है, जबकि लोक अदालत में प्रकरण सिर्फ राजीनामें के आधार पर ही पारित किये जाने का प्रावधान है। अधिनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री जारी की है तथा दावा दायर करने से पूर्व ही प्रतिवादी संख्या 1 इन्द्रा बाई का निधन हो चुका था। ऐसी स्थिति में मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे तथा प्रकरण गुणावगुण पर निर्णय करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील सारहीन होने से खारिज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 अनुसार प्रत्येक सहखातेदार को अपने हिस्से की आराजियात का विभाजन कराने का कानूनी अधिकार प्राप्त है एवं वादीगण/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा अपने उन्हें अधिकारों के तहत विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है, जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करते हुए प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की है, जो न्याय संगत है। प्रकरण में अभी सिर्फ प्रारम्भिक डिक्री जारी हुई है, किस पक्षकार को कौन सा हिस्सा प्राप्त होगा इसका निर्धारत तो अंतिम डिक्री में किया जायेगा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट अंतिम डिक्री जारी करने समय अपने हक हिस्से हेतु अपना पक्ष रख सकता है, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी है वह उपलब्ध राजस्व रेकार्ड अनुसार विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का प्रकरण संख्या 85/2021 निर्णय दिनांक 29.05.2023 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 24.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.10.30 12:47:28 IST
Reason: SelfAttested

(प्रदीपसिंह सांगावत)
सहायक कलक्टर
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर